भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 821
04 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

बहराइच में केले की खेती

821. डॉ. आनन्द कुमार गोंड:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की कोई योजना बहराइच लोकसभा क्षेत्र में केले के पौधों और केले से बनने वाले उत्पाद के लिए प्रसंसकरण इकाई लगाने और उन्हें बढ़ावा देने की है, यह देखते हुए कि वहां बड़े पैमाने पर केले की खेती होती है, लेकिन संबंधित प्रसंस्करण इकाई न होने के कारण उत्पादकों को सही कीमत नहीं मिलती है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार ऐसी प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए किसी योजना पर विचार करेगी जिससे की यहां के किसानों को सही दाम मिल सकें और रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो सकें और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) वर्ष 2017-18 से पूरे देश में " प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)" " नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना लागू कर रहा है। मंत्रालय पीएमकेएसवाई योजना के ऑपरेशन ग्रीन्स घटक योजना के तहत, पहचान किए गए उत्पादन क्लस्टरों में फलों वाली 10 फसलों, सब्जियों वाली 11 फसलों और श्रीम्प के मूल्य श्रृंखला विकास हेतु सामान्य क्षेत्र के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% की दर तथा दुर्गम क्षेत्रों और अ.जा./अ.जजा., एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन), और एसएचजी (स्वयं सहायता समूह) की परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इन फसलों के उत्पादन क्लस्टर की पहचान संबंधित राज्यों के बागवानी विभाग के साथ परामर्श द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा दिए गए बागवानी उत्पादन डेटा के आधार पर की जाती है। इन मानदंडों के आधार पर, मंत्रालय ने देश के 5 राज्यों के 23 जिलों में व्याप्त 8 केला क्लस्टरों की पहचान की है। उत्पादन क्लस्टरों का विवरण का **अनुबंध-I** में दिया गया है । इनमें से गोरखपुर, कुशीनगर , महाराजगंज , फतेहपुर और कौशाम्बी जिलों की पहचान उत्तर प्रदेश में केले के उत्पादन क्लस्टर के रूप में की गई है।

इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं कोई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित नहीं करता है, बल्कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की विभिन्न घटक योजनाओं के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के विकास और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। ये योजनाएं मांग आधारित हैं और अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से योजनाओं के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। योजना दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तावों की जांच की जाती है और पात्र आवेदनों को वित्तीय सहायता के लिए को मंज़ूरी दी जाती है । अभी तक, मंत्रालय ने ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश में इन क्लस्टर्स में केले के प्रसंस्करण के लिए कोई परियोजना मंज़ूर नहीं की है।

*****

अनुबंध I

'बहराइच में केले की खेती' के संबंध में दिनांक 04.12.2025 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 821 के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुबंध

ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के अंतर्गत केला के लिए उत्पादन क्लस्टर

क्र.सं.	राज्य	उत्पादन क्लस्टर
1	आंध्र प्रदेश	क्लस्टर-1- कडप्पा, अनंतपुर
		क्लस्टर-2-पूर्व गोदावरी , पश्चिम गोदावरी , विशाखापत्तनम , विजयनगरम
2	गुजरात	क्लस्टर-1-भरूच, आनंद , नर्मदा, सूरत, छोटाउदेपुर , वडोदरा,
3	महाराष्ट्र	क्लस्टर-1- जलगांव
4	तमिलनाडु	क्लस्टर-1- इरोड, कोयंबटूर
		क्लस्टर-2-तूतीकोरिन, थेनी, मदुरै
5	उत्तर प्रदेश	क्लस्टर-1-गोरखपुर, कुशी नगर, महाराजगंज
		क्लस्टर-2- फतेहपुर , कौशाम्बी